सं. 06/वीआईपी/2011-बीसी-III

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 25 अप्रैल, 2011

एडवाईजरी

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संज्ञान में यह लाया गया है कि टीवी चैनलों द्वारा प्रसारित कुछ कार्यक्रमों में जानवरों के प्रति बुरा व्यवहार और क्रूरता दिखाई गई है। यह सामने आया है कि इन कार्यक्रमों ज्यादातर रियलिटी शो में प्रतिभागियों को मनोरंजन के नाम पर सांप, तिलचट्टे, छिपकली, केकड़े आदि को शामिल करते हुए विभिन्न कृत्यों का प्रदर्शन करते दिखाया गया है। इनमें से कई शो में जानवरों और जीव-जंतुओं के साथ क्रूरता के साथ व्यवहार किया गया है। मौजूदा कानूनों और भारत के माननीय न्यायालयों द्वारा न्यायिक घोषणाओं में यह प्रावधान है कि जानवरों के साथ दुर्व्यवहार और क्रूरता नहीं की जानी चाहिए।

जबकि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 5, सह पठित केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 6(1)(क) समय- समय पर यथा संशोधित, के अनुसार केबल सेवा से कोई भी ऐसा कार्यक्रम प्रसारित/पुनः प्रसारित नहीं किया जा सकता है जो शोभनीयता या गरिमा को ठेस पहुँचाता है। इसके अलावा, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 8, सह पठित केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 7(1) समय-समय पर संशोधित के अनुसार, केबल सेवा में दिए जाने वाले विज्ञापनों को इस प्रकार डिज़ाइन किया जाएगा जो देश के कानूनों के अनुरूप हो और किसी की गरिमा को ठेस न पहुंचे।

जबकि भारत में टीवी चैनलों की अपलिंकिंग / डाउनलिंकिंग के लिए अनुमति/अनुमोदन की बुनियादी शर्तों/दायित्वों के अनुसार, चैनलों के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और इसके तहत नियमों के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता का पालन करने के लिए बाध्य हैं।

इसलिए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इसके द्वारा जारी अपलिंकिंग / डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, टीवी चैनलों को अपलिंक /डाउनलिंक करने के लिए चैनल को दी गई अनुमति की शर्तों और केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 20 के अंतर्गत इसके द्वारा सभी टीवी चैनलों को सलाह देता है कि वे केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित

कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता का सख्ती से पालन करें और ऐसी किसी भी सामग्री का प्रसारण न करें जो जानवरों के साथ दुर्व्यवहार और क्रूरता दिखाती हो या देश के कानूनों के अनुरूप नहीं हो।

सभी टीवी चैनलों के ध्यान में यह भी लाया जाता है कि कार्यक्रम संहिता के प्रावधानों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 20 और अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों के नियमों और शर्तों में निर्धारित दंडात्मक प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही का पात्र होगा।

यद्यपि यह सलाह ऊपर उल्लिखित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के अनुसार टेलीविजन चैनलों पर कार्यक्रमों और विज्ञापनों के प्रसारण के लिए है, यह इस तथ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है कि टीवी चैनलों पर जानवरों के शो और किसी भी रूप में उनके उपयोग और ऐसे कार्यक्रमों और विज्ञापनों के प्रसारण से पहले को नियंत्रित करने वाले वास्तविक और प्रक्रियात्मक पहलुओं संबंधी मौजूदा कानूनों और न्यायिक घोषणाओं का पालन करना, टीवी चैनल की जिम्मेदारी है।

हस्ता./-

[सुप्रिया साहू]
निदेशक (प्रसारण सामग्री)
दूरभाष # 23389202

सेवा में,
सभी टीवी चैनल

प्रतिलिपि:

1. श्री उदय शंकर, अध्यक्ष, द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, बी-304, तीसरी मंजिल, अंसल प्लाजा, खेलगांव मार्ग, नई दिल्ली-110049

2. सुश्री एनी जोसेफ, महासचिव, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, एमई-5, शाह विकास अपार्टमेंट, 68, पटपड़गंज , दिल्ली-110092